

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2022/256

दिनांक :- 5.5.2022

मुकदमा नंबर 106 /2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> तेजाराम पुत्र किशनाराम चौथाराम पुत्र किशनाराम भंवराराम पुत्र किशनाराम गोपाराम पुत्र गुलाबाराम पारसराम पुत्र गुलाबाराम हडमानाराम पुत्र गुलाबाराम गीगी बेवा गुलाबाराम, जातियान भील, निवासीयान कनाना, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर । 		<ol style="list-style-type: none"> बादर पुत्र पदमाराम मंगलाराम पुत्र कानाराम मीठाराम पुत्र कानाराम नगराम पुत्र गुणेशाराम चतराराम पुत्र गुणेशाराम गोपाराम पुत्र चांदाराम सुरेश पुत्र चांदाराम लच्छाराम पुत्र चांदाराम सजनी देवी बेवा चांदाराम सोमाराम पुत्र मिसराराम घेवरराम पुत्र मिसराराम जातियान भील, निवासीयान कनाना, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ग्राम पंचायत कनाना जरिये सरपंच राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

आदेश


दिनांक :- 05.05.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा कनाना पटवारी क्षेत्र कनाना भू-निरीक्षक कनाना तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 1290/32 रकबा 10-10 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावें कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड/अधिकारी,
उपखण्डाधिकारी
बालोतरा
दिनांक :-

क्रमांक /रीडर/ 2022/257

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें



उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
दिनांक :-

